MOST IMMEDIATE

F.No.36033/2/2006-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated the 12th October, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Special efforts to fill up the reserved vacancies of SCs, STs and OBC.

Attention is invited to this Department's O.M No.36012/17/2002-Estt.(Res) dated 6.11.2003 which, in regard to the procedure for filling up the reserved vacancies of the SCs/STs/OBCs in case of direct recruitment, inter alia, provides as follows:

" If sufficient number of suitable SC/ST/OBC candidates are not available to fill up vacancies reserved for them in the first attempt of recruitment, a second attempt shall be made for recruiting suitable candidates belonging to the concerned category in the same recruitment year or as early as possible before the next recruitment to fill up these vacancies".

2. The undersigned is directed to say that earnest efforts should be made to fill up the reserved vacancies in the initial year of recruitment itself as per instructions referred to above. If done so, there would hardly be any chance of reserved vacancies remaining vacant and creation of backlog reserved vacancies.

(K.G. Verma)
Director
Tel: 23092158

1. All Ministries/Departments of Government of India
2. Department of Financial Services, New Delhi.
3. Department of Economic Affairs, New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/ Election Commission/Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/President's Secretariat/ Vice President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/ Election Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
8. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
9. Guard file
10. NIC for uploading in the website.
11. Spare copies 100

अति तत्काल

संख्या 36033/2/2006-स्थापना(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

.....

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास ।

इस विभाग के दिनांक 06.11.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/17/2002-स्थापना (आरक्षण) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

"यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पद भरने के प्रथम प्रयास में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाएँ तो उसी भर्ती-वर्ष में अथवा ये रिक्त पद भरने हेतु अगली भर्ती किए जाने से पहले संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार भर्ती करने का दूसरा प्रयास यथाशीघ्र किया जाए।"

2. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित अनुदेशों के अनुसार भर्ती के शुरू के वर्ष में ही आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो आरक्षित रिक्तियों के रिक्त रहने और पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियां एकत्र होने का कोई मौका ही नहीं आएगा ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली ।
9. गार्ड फाइल ।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।